UPRP010036132026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट–अनन्य), रामपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 505/2026

पंजीयन संख्या– 863/2026

जगप्रीत सिंह उर्फ जग्गा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

मुकदमा अपराध संख्या–162/2026
धारा 109(1),317(4),3(5)भारतीय न्याय संहिता, व धारा 4/25 आयुध अधिनियम
थाना बिलासपुर, जिला रामपुर।

29–06–2026

आवेदक/**अभियुक्त जगप्रीत सिंह उर्फ जग्गा** की ओर यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–162/2026, धारा–109(1),317(4), 3(5)भारतीय न्याय संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बिलासपुर, जिला रामपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, रामपुर में निरुद्ध है।

अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के साथ मुख्त्यार का शपथ पत्र इस आशय का दाखिल किया गया है कि वह उक्त प्रकरण में अभियुक्त का पिता व पैरोकार मुकदमा है। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है।

वादी मुकदमा के द्वारा थाना बिलासपुर, रामपुर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि आज दिनांक 12.05.02026 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह मय एक जरब ग्लक पिस्टल HUU038 मय 10 अदद कारतूस 9 एम०एम० मय हमराही उ०नि० केशू शर्मा मय एक जरब पिस्टल नं0 16726868 मय 10 अदद कारतूस 10 कारतूस मय का० 202 अखिल नैन मय एक जरब ऐ0के0–47 रायफल मय 20 अदद कारतूस मय हमराही का0 1844 आशीष राणा मय एक जरब एन्टी राईट गन मय 10 अदद कारतूस मय गाड़ी सरकारी नं0 UP 22 जी 0316 मय चालक का0 जितेन्द्र कुमार के वास्ते देख–रेख शान्ति व्यवस्था, रोकथाम जुर्म जरायम, चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति, तलाश वान्छित अभियुक्त के बहवाले रपट नं0 100 समय 23.11 बजे पर रवाना होकर ओपी रूद्रविलास क्षेत्र में मामूर थे, जब पुलिस वाले डिबडिबा गेट के पास फ्लाई ओवर के नीचे पहुँचे तो मुखबिर खास मिला, जिसने बताया कि आपके छिनैती वाले मुकदमे से सम्बन्धित कुछ बदमाश दो मोटर साईकिलों पर घटना करने की फिराक में घूम रहे है तथा उनके पास अवैध अस्लहें होने की पूर्ण सम्भावना है तथा यह बदमाश रूदपुर व आस–पास के क्षेत्रों में लगातार छिनैती की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो चन्देन मन्दिर की तरफ से डिबडिबा की तरफ आ रहें है अगर जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वाले मय मुखबिर के एक दूसरे की जामा

Digitally signed by INDRA PRAKASH
Date: 2026.07.01 10:35:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तलाशी ले देकर पूर्ण विश्वास करते हुए कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं हैं, मुखबिर को साथ लेकर चन्देन मन्दिर से डिबडिबा को जाने वाले रास्ते पर चल दिये जब पुलिस वाले मनिहार खेड़ा चौराहे के पास पहुंचे तो मुखबिर ने बताया कि साहब वह बदमाश चन्देन मन्दिर की तरफ से आ रहे हैं और मुखबिर पीछे मुड़कर चला गया। जिसके पश्चात सभी पुलिस कर्मियों को घटना से भली भांति अवगत कराकर वाहनो को सड़क किनारे लगाकर चैकिंग करने लगे। कुछ समय बाद चन्देन मन्दिर की तरफ से सडक पर दो मोटर साईकिलो की लाईटो की रोशनी आती दिखाई दी, जिन्हे लगभग 50 मीटर दूरी से ही टार्चों की रोशनी से ईशारा कर रोकने की कोशिश की तो दोनो बाईक सवार तेज स्पीड पर ही अपनी-अपनी मोटर साईकिलों को मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे तथा दोनो मो0 सा0 सड़क किनारे कच्चे में फिसलकर गिर गयी। हम पुलिस वालो ने पास जाने का प्रयास किया तो मोटर साईकिलो पर सवार व्यक्ति चिल्लाये कि साले पुलिस वाले हैं इन्हे जान से मार दो, इतना कहकर दोनो गिरी हुई मोटर साईकिलो से गिरे हुए व्यक्तियो में से दो व्यक्तियों के द्वारा हमारी तरफ फायर किया गया। जिससे उ0नि0 योगेश कुमार व हे0 का0 401 मौहम्मद महबूब बाल-बाल बचे। जिसके पश्चात मुझ प्रभारी ने इन सभी को ललकारा कि तुम पुलिस के घेरे मे हो अपने को पुलिस के हवाले कर दो किन्तु इन लोगो ने सरैन्डर नही किया व गोली चलाने वाले दोनो व्यक्ति पुनः फायर करने के लिये लोड करने का प्रयास करने लगे तभी वादी मुकदमा/प्रभारी निरीक्षक द्वारा हमराह पुलिस बल को संयम बरतने हेतु निर्देशित कर तथा न्यूनतम बल आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करने हेतु बताया तथा वादी मुकदमा द्वारा उनकी फायरिंग रेन्ज में घुसकर आत्मरक्षार्थ व उनके फायर पावर को कम करने के लिये उनके पैरो को निशाना बनाकर अपने सरकारी पिस्टल से दो राउन्ड फायर किये गये व उ0नि0 योगेश कुमार द्वारा भी उसी प्रकार सिखलाये हुये तरीके से अभियुक्तो के पैरो को निशाना बनाकर अपनी सरकारी पिस्टल से दो राऊन्ड फायर किये गये तभी उन व्यक्तियों की तरफ से चिल्लाने की आवाज आयी। एक व्यक्ति ने कहा कि इनको गोली लगी है। इस पर हम पुलिस वालो ने सतर्कता बरतते हुए टार्चा की रोशनी दिखाते हुए आगे बढ़े तो एक व्यक्ति जोर से करहाते हुए बोला कि साहब मुझे व मेरे एक साथी को गोली लगी है। पुलिस वालो को पास आता देख उन व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने का प्रयास करने लगे, जिनको पुलिस वालो द्वारा घेर-घोटकर पकड़ लिया। पुलिस वालो ने पास जाकर देखा तो दोनो व्यक्ति दर्द से कराह रहे हैं, पहला व्यक्ति जिसने काली शर्ट ग्रे कलर की जींस पहनी है तथा नीली पगड़ी बांधे है के बांये पैर में गोली लगी है जिसके दाहिने हाथ में एक अदद तमंचा नाजायज है, जिसको खोलकर देखा तो नाल में खोखा कारतूस फंसा है तथा नाल में फसा हुआ खोखा कारतूस की पैन्दी पर फायर पिन का निशान बना है, जिसकी पैदी पर बीएमएम केएफ लिखा है तथा तमंचे की नाल को सूँघने पर नाल को सूँघने पर बारुद की तेज बू आ रही है जिसकी नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम जसपाल उर्फ जस्सा पुत्र मुख्तयार सिहं निवासी ग्राम कोटा अलीनगर थाना बिलासपुर जनपद रामपुर बताया, जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहनी पैंट की दाहिनी जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर जिनकी पेंदी पर बीएमएम केएफ लिखा है तथा पहनी शर्ट की जेब से 500 रू के पाँच नोट तथा 100 रुपये के दो नोट कुल 2700 रुपये बरामद हुये इसके अलावा कोई शह

बरामद नहीं हुयी। तत्पश्चात उक्त दोनो घायल व्यक्तियो का मानव जीवन रक्षार्थ वास्ते उपचार हेतू सीएचसी बिलासपुर भेजा गया तथा पकड़े गये अन्य व्यक्तियों की नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लेने पर तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम हर्षदीप पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम कोटा अली नगर थाना बिलासपुर जनपद रामपुर बताया, जिसकी पहनी हाफ पेन्ट की दाहिनी जेब से एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ तथा पैन्ट की बांयी जेब से 500–500 के छः नोट व 100–100 रुपये के दो नोट कुल 3200 रूपये बरामद हुए इसके अलावा कोई शय बरामद नहीं हुई हुलिया चाकू फल चाकू लोहा 07 अंगुल, बेंटा एल्मुनियिम 08 अंगुल कुल लम्बाई एक बालिस्त 04 अंगुल जिसको खोलने व बन्द करने के लिये बेटे पर एक पीले धातु का कैच लगा है तथा बैटे पर दोनो तरफ मछलीनुमा डिजाईन बना है। पकडे गये व्यक्ति से चाकू रखने का लाईसैंस तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहा तथा चौथे व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम अमृत सिंह उर्फ गन्जू पुत्र बलविन्दर सिंह निवासी ग्राम कोटा अली नगर थाना बिलासपुर जनपद रामपुर बताया, जिसकी जामा तलाशी से पहने लोअर की दाहिनी जेब से एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ तथा एक अदद मोबाईल फोन सैमसंग कीपैड बिना सिम बरामद हुआ तथा पहनी शर्ट की उपर की जेब से 500 के आठ नोट व 200 का एक नोट कुल 4200/– रूपये बरामद हुए। इसके अलावा कोई शय बरामद नहीं हुयी। पकडे गये व्यक्ति से चाकू रखने का लाईसेंस तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहा तथा माफी माँगने लगा तथा बरामद मोबाईल के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि साहब यह मोबाईल मैने व मेरे साथियो द्वारा सिडकुल रुद्रपुर से किसी व्यक्ति से छीना था। पकड़े गये पाँचवे व्यक्ति की नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम **जगप्रीत सिंह उर्फ जग्गा** पुत्र श्री मुख्तियार सिंह नि० ग्रा० गोकुलनगरी थाना बिलासपुर जनपद रामपुर उम्र करीब वर्ष बताया, जिसने पीली टी शर्ट तथा सफेद पैंट पहनी है जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहनी पैंट की दांयी जेब से एक अदद चाकू नाजायज तथा पहनी पैंट की बांयी जेब से 500–500/– रुपये के छः नोट तथा 100/– रुपये के एक नोट कुल 3100/– रूपये बरामद हुये इसके अलावा कोई शह बरामद नहीं हुयी। पकड़े गये व्यक्ति से चाकू रखने का लाईसेंस तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहा तथा माफी माँगने लगा तथा बरामद मोबाईल के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि साहब यह मोबाईल मैने व मेरे साथियो द्वारा सिडकुल रुद्रपुर से किसी व्यक्ति से छीना था। रात्रि का वक्त होने के कारण पुलिस बल द्वारा चलाये गये कारतूसों के खोखे बरामद नहीं हुये। फर्द के मजमून को हमराहियान को पढ़कर सुनाकर अलामात बनवाये गये व फर्द की कॉपी अभियुक्तगण की सहमति से अभियुक्त हर्षदीप को दी गयी तथा तीनो अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त वर्णित मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है तथा झूठा व साजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई घटना कारित नहीं की है। कथित घटना काल्पनिक है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त वर्णित मुकदमें में जबरन पार्टीबन्दी के तहत फंसाया गया है। उसका कथित घटना से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई

घटना कारित नहीं की है। थाना पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को उसके घर से उठाकर उपरोक्त घटना में शामिल किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। कथित घटना ग्राम दिबदिवा फलाई ओवर के पास की दर्शायी गयी है, जबकि ग्राम गोकूलनगरी थाना बिलासपुर जिला रामपुर का निवासी है। घटना वाली दिनांक को प्रार्थी/अभियुक्त अपने घर पर मौजूद था। वादी मुकदमा द्वारा घटना का समय रात्रि 11:05 मिनट का दर्शाया गया है और प्राथमिकी दिनांक 13.05.2026 की सुबह 11:00 बजे दर्ज होना दर्शायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर किसी प्रकार का कोई हमला या फायर नहीं किया है और न ही पुलिस पार्टी पर कोई चोट दर्शायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से कोई अवैध चाकू बरामद नहीं हुआ है। समस्त बरामदगी साजिशी वादी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, जो गवाहान दर्शाये गये है वह साजिशी वादी है पुलिस पार्टी से सम्बन्धित है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से जो 3100/- रूपये बरामदगी दिखायी गयी है वह पूर्णतया जाली, फर्जी व बनावटी है, उक्त रूपये प्रार्थी/अभियुक्त के स्वयं के थे। जिस मुकदमें से सम्बन्धित प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त वर्णित मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है। वह मुकदमा नामजद नहीं है। उपरोक्त मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त मुकदमें से भी किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त गरीब मजदूर व्यक्ति है, दैनिक मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी/अभियुक्त के बूढे माता पिता है जो प्रार्थी/अभियुक्त पर ही आश्रित है प्रार्थी/अभियुक्त परिवार का एक मात्र मुखिया पुरूष है। प्रार्थी/अभियुक्त के जिला कारागार में रहने से प्रार्थी/अभियुक्त को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है तथा उसके बूढे माता पिता को भी कठिनाई का सामना करना पड रहा है तथा परिवार की स्थिति दयनीय है और प्रार्थी/अभियुक्त का परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त को किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसका समाज में अच्छा स्थान है प्रार्थी/अभियुक्त के कारागार में रहने से उसकी छवि धूमिल हो रही है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2026 को निरस्त फरमा दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकृत कर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि **अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से आग्नेयास्त्र से फायर किया गया है तथा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ है।** अभियुक्त के विरुद्ध अंकित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर ,विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्त पर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से आग्नेयास्त्र से फायर करने का एवं एक अदद नाजायज चाकू बरामद होने का आरोप है।

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस पार्टी के किसी भी भी सदस्य पर आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना दर्शित नहीं किया गया है। सभी गवाह पुलिस कर्मी है, जनता का कोई गवाह नहीं है। थाने की आख्या में अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना भी दर्शित नहीं किया गया है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में दिनांक 13.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, रामपुर में निरुद्ध है।

अतः मामले के समस्त तथ्यो, परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक–**अभियुक्त जगप्रीत उर्फ जग्गा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–162/2026, धारा–109(1), 317(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बिलासपुर, जिला रामपुर **के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा रूपये 50,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को उक्त प्रकरण में जमानत पर मुक्त किया जाये।

(इन्द्र प्रकाश)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट),
रामपुर।
J.O.I.D.U.P.6366
29.06.2026